राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

शाह बोले, घुसपैठियों से खाली कराएंगे देश की एक-एक इंच जमीन
>> 3

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 38

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, गुरुवार, 18 जुलाई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

BYJU'S The Learning App
IAS 2020

आईएएस 2020 फाउंडेशन एवं टेबलेट प्रोग्राम

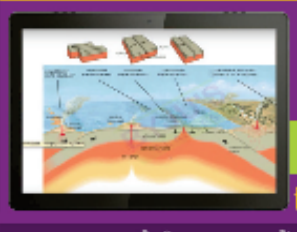

प्रारंभिक परीक्षा केन्द्रित
BYJU'S IAS TABLET PROGRAME
COURSE FEE : ₹ 70,000/- ALL INCLUSIVE
किसी भी समय और कहीं भी सर्वश्रेष्ठ व्याख्याताओं तक पहुंच
सामान्य अध्ययन के लिए 500+ घण्टों की वीडियो कक्षाएं (प्रिलिम्स + मेन्स)
प्रत्येक विषय के सही एप्रोच के लिए सम्पूर्ण मार्गदर्शन और सहयोग
समसामयिक विषयों के लिए प्रतिदिन अतिरिक्त वीडियो

5 DAYS
FREE DEMO CLASSES
के साथ बैच प्रारंभ
TIME : 5 PM TO 7:30 PM
22th जुलाई : भारतीय राजव्यवस्था
23rd जुलाई : भारतीय इतिहास
24th जुलाई : भारतीय अर्थव्यवस्था
25th जुलाई : भूगोल
26th जुलाई : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

IAS 2020 के लिए
नि:शुल्क कार्यशाला
DATE : 20TH JULY 2019 (SATURDAY) | TIME : 4:30 PM
FOUNDATION BATCHES – Mon to Fri (Prelims Cum Mains)
Batch 1 : 29th July (5 pm to 7.30 pm) | Batch 2 : 5th August (5 pm to 7.30 pm)
कार्यालय का पता : Shop No. 15, Ground Floor, Vardhman Central Mall, Nehru Vihar, Mukherjee Nagar, Delhi-54
नि:शुल्क पंजीकरण के लिए अपना नाम SMS/WHATSAPP करें 9205881869

सरोकार

पॉवरलिफ्टिंग, वेटलिफ्टिंग में कमाल कर रहीं बेटियां

हरदोई : उप्र के हरदोई जिले की बेटियां कमाल कर रही हैं। पॉवरलिफ्टिंग और

वेटलिफ्टिंग के खेल में इनका कोई सानी नहीं। इनके खेल से सूबे देश का भी नाम रोशन हो रहा है। पॉवरलिफ्टिंग में देश-प्रदेश को मेडल दिला चुकी अनुभवी बेटियों की अगुवाई में अब विजेताओं की नई पीढ़ी तैयार हो रही है। (पेज-13)

जागरण विशेष

खेती में ग्रेजुएशन, गांव में फैली खुशहाली

चंदौली : उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के खुरुहझा गांव में शानदार इमारतें, गेहूं-धान

की दोगुनी पैदावार, हर घर में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर... यहां की समृद्धि को बयां करने के लिए काफी हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त यहां के किसान नौकरी को दो टूक नकार अपनी खेती-बाड़ी में खुशहाल हैं। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

एनआइए कानून संबंधी विधेयक राज्यसभा से भी पारित

नई दिल्ली : एनआइए को और अधिक अधिकार देने वाले संशोधन विधेयक को संसद की हरी झंडी मिल गई है। सोमवार को लोकसभा में पास होने के बाद बुधवार को राज्यसभा ने भी बिल पर मुहर लगा दी। यानी अब एनआइए को साइबर अपराधों और मानव तस्करी के मामलों की जांच का अधिकार मिल जाएगा।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भूमि विवाद में 10 लोगों की हत्या

सोनभद्र : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बुधवार को जमीन पर कब्जे को लेकर 10 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों में सात पुरुष व तीन महिलाएं शामिल हैं। जमीन पर कब्जा करने के लिए ग्राम प्रधान 32 ट्रैक्टरों में अपने 300 लोगों को लेकर पहुंचा था। सीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

स्पोर्ट्स ▶ पृष्ठ 12

कपिल देव की समिति करेगी टीम इंडिया के कोच का चयन

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट का संचालन कर रही प्रशासकों की समिति (सीओए) ने अगले राष्ट्रीय कोच के चयन का जिम्मा पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव की अगुआई वाली तदर्थ समिति को सौंपा है और इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त पैनल में मतभेद हो सकते हैं। तदर्थ समिति में पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और शांता रंगास्वामी हैं।

कुलभूषण जाधव पर मिली बड़ी जीत, फांसी पर रोक

ऐतिहासिक ▶ अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाक से सजा पर पुनर्विचार करने को कहा, जाधव को काउंसलर एक्सेस देने को भी कहा

16 सदस्यीय पीठ ने 15-1 के बहुमत से सुनाया फैसला

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव (49) को बचाने में जुटी भारत सरकार को बड़ी जीत हासिल हुई है। नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) ने भारत सरकार का आग्रह स्वीकार कर पाकिस्तानी 'सैन्य अदालत' की तरफ से जाधव को दी गई फांसी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। आइसीजे ने पाक को वियना समझौते के अनुच्छेद 36(1-बी) का पालन नहीं करने पर फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि वह भारतीय राजनयिकों को जाधव से मिलने की इजाजत (काउंसलर एक्सेस) दे। अदालत ने जाधव को दी गई सजा की समीक्षा का आदेश भी दिया है।

आइसीजे की ओर से न्यायाधीश अब्दुलकवि अहमद यूसुफ ने फैसला सुनाया। इस मामले को सुनने के आइसीजे के अधिकार को लेकर पाक आपत्तियों को सिरे से खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा, पाकिस्तान सरकार ने दूसरे देश के अधिकारी या सैन्यकर्मी को पकड़े जाने पर लागू वियना संधि के मुताबिक कदम नहीं उठाए। हालांकि इससे जाधव की रिहाई की फिलहाल सूरत नहीं बनती, पर यह उम्मीद बंधती है कि पाक में जब उनके खिलाफ नए सिरे से कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी तो जाधव भारत सरकार की मदद से अपनी बात निष्पक्ष माहौल में रख सकेंगे। पूरे फैसले में 16 जजों में से 15 एक मत के थे। सिर्फ पाक से आने वाले जज टीएस गिलानी ने अलग मत दिया।

फैसला सुनाते एके अहमद

काउंसलर एक्सेस का अर्थ

- कानूनी प्रक्रिया में भारतीय राजनयिकों से ले सकेंगे सलाह
- अपनी पसंद का वकील चुन सकेंगे
- अपने ऊपर लगे आरोपों का सुबूतों के साथ दे सकेंगे जवाब

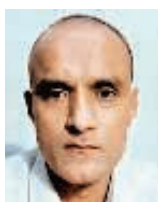

कुलभूषण जाधव

हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। सत्य व न्याय की जीत हुई है। आइसीजे को बधाई देता हूं जिसने तथ्यों पर अध्ययन के बाद फैसला सुनाया है। मुझे विश्वास है कि कुलभूषण जाधव को न्याय मिलेगा। मेरी सरकार हर भारतीय की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम करती रहेगी।
– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

मैंने जाधव के परिवार वालों से बात की है। उनका साहस सराहनीय है। सत्यमेव जयते।
– एस. जयशंकर, विदेश मंत्री

मैं पूरे दिल से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करती हूं। यह भारत को मिली एक महान जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कि जाधव मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने का फैसला किया गया।
– सुषमा स्वराज, पूर्व विदेश मंत्री

जाधव को पाक की सैन्य अदालत ने जासूसी व आतंकवाद के आरोप में अप्रैल, 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी। इस पर भारत मामले को आइसीजे में ले गया था, जहां मामला करीब दो वर्ष दो माह तक चला। पांच माह पहले ही आइसीजे ने फांसी की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

न्यायालय ने फैसले में यह साफ नहीं किया कि आगे पाक में जाधव के खिलाफ मामला कहां चलाया जाएगा, लेकिन भारतीय पक्षकारों का कहना है कि चाहे मामला सैन्य या सामान्य कोर्ट में चले, कूटनीतिक पहुंच का काफी असर होगा। अभी तक जाधव को भारतीय अफसरों से मिलने भी नहीं दिया गया है। संभवतः जाधव पर नए सिरे से कानूनी कार्रवाई वहां की सैन्य अदालत में ही होगी, लेकिन अब जाधव के पास कानूनी अधिकार होंगे। वैसे भारत ने जाधव के खिलाफ दायर केस रद करने और जेल से रिहाई की मांग भी की थी जिसे आइसीजे ने नहीं माना। पाक का दावा है कि जाधव को बलूचिस्तान में आतंकी वारदात की साजिश रचते पकड़ा गया था। वहीं, भारत का कहना है कि जाधव को व्यक्तिगत कारोबार के सिलसिले में ईरान से अगवा कर पाक ले जाया गया था। पाक ने जाधव को पत्नी और मां से मिलने की इजाजत दी, लेकिन उन्हें जिस माहौल में मिलवाया था वह सवाल पैदा करने वाला था। आइसीजे में भारत के वकील हरीश साल्वे ने न सिर्फ इस मामले में पाक की कानून-व्यवस्था बल्कि सैन्य अदालतों की भी कलई खोल दी थी।

तार-तार हुआ पाक का झूठ

- आठ मई, 2017 को भारत ने वियना संधि के उल्लंघन का हवाला देते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मामला शुरू किया।
- भारत ने कहा, पाक ने जाधव को तीन मार्च, 2016 को पकड़ा और इसकी जानकारी 25 मार्च 2016 को दी। समय पर जानकारी न देकर पाक ने वियना संधि के अनुच्छेद 36(1)(बी) का उल्लंघन किया।
- पाकिस्तान ने जाधव को राजनयिक पहुंच उपलब्ध नहीं कराई जबकि भारत इसकी लगातार मांग करता रहा।
- सैन्य अदालत ने हिरासत में बयान के आधार पर सजा सुनाकर अंतरराष्ट्रीय संधियों और नियमों का मखौल उड़ाया।
- नागरिकों के मुकदमे के लिए सैन्य अदालत का इस्तेमाल करना निर्धारित प्रक्रिया और मानकों का उल्लंघन है।
- राजनयिक पहुंच के मामले में द्विपक्षीय संधि का हवाला देकर बहुपक्षीय या वियना संधि की अनदेखी नहीं कर सकते।
- कानूनी मदद के लिए पाकिस्तान का आग्रह सिर्फ एक दुष्प्रचार था।
- भारत ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के संबंध में 20 बार आग्रह किया, लेकिन पाक ने एक बार भी जवाब नहीं दिया।

बेनकाब हुआ पाकिस्तान का चेहरा पेज>>5
भारत की जीत (संपादकीय) पेज>>8

इमरान के अमेरिका दौरे से पहले पाक में हाफिज सईद गिरफ्तार

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री इमरान खान के अमेरिका दौरे से ठीक पहले मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को गिरफ्तार किया है। हाफिज को आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी है और अमेरिका ने उस पर एक करोड़ डॉलर (करीब 70 करोड़ रुपये) का इनाम रखा है।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के आतंकरोधी विभाग (सीटीडी) ने हाफिज को गिरफ्तार किया है। सीटीडी के अधिकारी ने बताया, 'सीटीडी की टीम ने जमात उत दावा के सरगना को उस वक्त गिरफ्तार किया, जब वह गुजरांवाला से लाहौर जा रहा था। उसे लाहौर से करीब 80 किलोमीटर दूर गुजरांवाला शहर के नजदीक गिरफ्तार किया गया।' हाफिज सईद को गुजरांवाला में आतंकरोधी अदालत (एटीसी) के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद उसे लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल लाया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी भ्रष्टाचार के मामले में सात साल की सजा इसी जेल में काट रहे हैं। सीटीडी ने बताया कि हाफिज को गुजरांवाला में दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया है। उस पर एटीसी में मामला चलेगा। तीन जुलाई को सीटीडी ने हाफिज सईद समेत जमात उद दावा के 13 अहम लोगों के

- पंजाब प्रांत के आतंकरोधी विभाग ने गुजरांवाला में किया गिरफ्तार

हाफिज सईद बुधवार को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एएनआइ

खिलाफ 23 एफआइआर दर्ज की थी। इन पर आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग का आरोप है। सोमवार को सईद और उसके तीन साथियों को लाहौर की आतंकरोधी अदालत से अग्रिम जमानत मिली थी। जमीन हड़पने के एक मामले में अदालत ने पुलिस को उनकी गिरफ्तारी से रोका था। हाफिज सईद 2008 में हुए मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। भारत उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लगातार दबाव बनाता रहा है।

दिखावा कर रहा पाक : निकम पेज>>11

चंद्रयान-2 को अगले हफ्ते लांच करने की तैयारी में जुटा इसरो

चेन्नई, आइएएनएस : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) चंद्रयान-2 को अगले हफ्ते तक लांच करने की कोशिशों में जुटा है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो इस उपग्रह को 20-23 जुलाई के बीच किसी भी समय चांद पर भेज दिया जाएगा। चंद्रयान-2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाले प्रक्षेपण यान यानी जीएसएलवी-एमके 3 रॉकेट में आई खराबी को दूर कर लिया गया है। 15 जुलाई को रॉकेट में खराबी का पता चलने पर आखिरी वक्त में प्रक्षेपण को टालना पड़ा था।

हालांकि, रॉकेट में आई खराबी को ठीक कर लिए जाने को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन इसरो के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक खराबी को दुरुस्त कर लिया गया है। एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखते हुए बताया कि प्रक्षेपण के लिए 20-23 जुलाई के बीच कोई निश्चित समय तय करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि 15 जुलाई को तड़के 2.51 बजे चंद्रयान-2 को अंतरिक्ष में लांच किया जाना था। इसके लिए उल्टी गिनती भी शुरू हो गई थी। लेकिन रॉकेट में खामी का पता चलने पर 56 मिनट 24 सेकेंड पहले लांच को रोक दिया गया। अब एक बार फिर उपग्रह को

- 20 से 23 जुलाई के बीच सही वक्त का किया जा रहा है आकलन
- 15 जुलाई को तकनीकी खराबी के कारण टालना पड़ा था लांच

लांच करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसे चांद की कक्षा में पहुंचाने का मौका मिल सके। दरअसल, अभी एक लांच विंडो खुला हुआ है। लांच विंडो वह समय होता है, जब चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है और इस दौरान लांच किए जाने वाले यान का अंतरिक्ष में दूसरे उपग्रहों से टकराने का खतरा भी कम रहता है। अगर मौजूदा लांच विंडो, जो इस महीने तक है, चंद्रयान-2 को लांच नहीं किया जाता है तो फिर ऐसा मौका सितंबर या अक्टूबर से पहले नहीं आएगा। उससे पहले अगर उपग्रह को चांद पर भेजा जाता है तो उसके लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत होगी, क्योंकि पृथ्वी से चांद की दूरी बढ़ जाएगी।

भारत के लिए अहम मून मिशन : भारत के लिए यह मिशन बहुत अहम है। इस मिशन के सफल होते ही चंद्रमा पर अपना उपग्रह उतारने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही चंद्रमा पर अपने उपग्रह उतारने में सफल रहे हैं।

बागी विधायक फ्लोर टेस्ट में भाग लेने को बाध्य नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने अंतरिम फैसले में कहा कि कर्नाटक के इस्तीफा दे चुके कांग्रेस-जदएस के 15 बागी विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। विधायक चाहें तो सदन की कार्यवाही में हिस्सा लें और न चाहें तो न लें। इस आदेश से कुमारस्वामी सरकार पर संकट गहरा गया है क्योंकि सरकार गुरुवार को विश्वास प्रस्ताव का सामना करने जा रही है। साथ ही शीर्ष अदालत ने विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार से कहा है कि वह जब उचित समझें तब संवैधानिक नियमों के तहत इन 15 विधायकों के इस्तीफों पर फैसला लेने को स्वतंत्र हैं। स्पीकर को इस बारे में निर्देश नहीं दिया जा सकता। हालांकि वह जब फैसला लें, उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने यह फैसला बुधवार को बागी विधायकों की याचिका पर सुनाया। कोर्ट ने कहा, इस मामले में मुख्य संवैधानिक और कानूनी मुद्दा यह है कि अगर विधायकों ने अयोग्यता याचिका दाखिल होने से पहले इस्तीफा दे दिया है तो क्या स्पीकर उसे पहले तय करेंगे या इस्तीफे और अयोग्यता

- सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक विधानसभा में बहुमत परीक्षण से पहले अहम फैसला
- कुमारस्वामी सरकार संकट में, बागी विधायकों को सदन की कार्यवाही में इच्छानुसार हिस्सा लेने की छूट

सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो

कार्यवाही को साथ-साथ तय करेंगे अथवा अयोग्यता की कार्यवाही इस्तीफे से पहले तय की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि इस सवाल का जबाव बाद में तय किया जाएगा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों और प्रतिपक्षी दावों को देखते हुए कोर्ट संवैधानिक संतुलन बनाते हुए यह अंतरिम आदेश दे रहा है। कोर्ट ने मंगलवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

लागू नहीं होगा व्हिप : फैसले के बाद बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने पत्रकारों को बताया कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ पार्टियों द्वारा जारी कोई भी व्हिप अब बागी विधायकों पर लागू नहीं होगा।

बागी विधायकों के आरोप : कांग्रेस-जदएस के 15 बागी विधायकों ने अर्जी में आरोप लगाया था कि स्पीकर संवैधानिक दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन स्पीकर उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही चलाई जा रही है। स्पीकर कुमारस्वामी सरकार की मदद करने के लिए इस्तीफा लंबित रखे हैं। इस बीच सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है जिसमें पार्टी उन्हें मौजूद रहने और सरकार के पक्ष में मतदान करने का व्हिप जारी करेगी और वह बाध्यकारी होगा। अतः कोर्ट स्पीकर को आदेश दे कि वह उनके इस्तीफों पर पहले फैसला करें।

स्पीकर व मुख्यमंत्री की दलील : स्पीकर रमेश कुमार व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की ओर से दलील दी गई थी कि स्पीकर को किस तरह कार्यवाही करनी चाहिए, कोर्ट इस बारे में निर्देश नहीं दे सकता। संविधान के मुताबिक स्पीकर को अयोग्यता याचिका पर इस्तीफे से पहले निर्णय लेना होगा।

स्पीकर बोले, संविधान के मुताबिक लेंगे फैसला

बेंगलुरु, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राज्य विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार ने स्वागत किया है। अपने गृह नगर कोलार में पत्रकारों से बातचीत में रमेश ने कहा, 'बेहद विनम्रता से मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत और सम्मान करता हूं। कोर्ट ने मुझ पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है, मैं संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा।'

बागी विधायक बोले, नहीं जाएंगे विस : मुंबई में ठहरे बागी विधायकों ने मीडिया को जारी वीडियो संदेश में कहा, 'हम कोर्ट के फैसले से खुश हैं, हम सभी साथ हैं और हमने जो भी फैसला लिया है... किसी भी कीमत पर लौटने (इस्तीफों पर) का सवाल ही नहीं है। विधानसभा में जाने का तो सवाल ही नहीं है।' वहीं, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीएस येद्युरप्पा ने कहा, कोर्ट का फैसला 'सिर्फ अंतरिम आदेश है। भविष्य में सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के अधिकारों पर फैसला सुनाएगा। संसदीय लोकतंत्र में यह एक नया प्रतिमान स्थापित करेगा।'

विशेषज्ञों का तर्क

उचित तरीके से निवेश करने वाले सुपर रिच को बढ़े सरचार्ज से मिले मुक्ति, सरकार के फैसले से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर और प्रतिभा पलायन की जताई आशंका

अमीरों पर टैक्स बढ़ाने से घटेगा निवेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार ने खजाना भरने के इरादे से सुपर रिच यानी सालाना दो करोड़ रुपये से अधिक कर-योग्य आय वाले व्यक्तियों के आयकर पर सरचार्ज तो बढ़ा दिया है लेकिन इस कदम से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। केंद्र के इस कदम से न सिर्फ निवेश की रफ्तार धीमी हो सकती है, बल्कि इससे प्रतिभा पलायन को भी बढ़ावा मिल सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को सुपर रिच के आयकर पर सरचार्ज के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। आरएन मारवाह एंड कंपनी एलएलपी के मैनेजिंग डायरेक्टर रघु मारवाह ने कहा, 'अगर कोई उद्यमी दो करोड़ रुपये से अधिक एक रुपया भी कमाता है, तो वह उसके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर किसी सुपर-रिच का कारोबार नहीं चल पाता है या कोई सीईओ जो सुपर रिच की श्रेणी में आता है उसकी नौकरी चली जाती है, तो सरकार से उसे कोई मदद नहीं मिलती है। यह भारत से प्रतिभा पलायन को बढ़ा सकता है। साथ ही भारत निवेश आकर्षित करने वाले देश की स्थिति को गंवा सकता है क्योंकि किसी भी संगठन के पीछे एक व्यक्ति ही

वित्तमंत्री ने बजट में टैक्स बढ़ाने की बात कही है।

होता है। चूंकि वित्त विधेयक अभी पारित होना बाकी है, इसलिए एक सुझाव यह है कि अगर इस आय का उपयुक्त तरीके से निवेश किया जाए तो सुपर-रिच को सरचार्ज से छूट दी जानी चाहिए। यह सरकार के उद्देश्य के अनुरूप होगा।'

ज्ञात हो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा था, 'जिनकी आय अधिक है, उन्हें राष्ट्र निर्माण में अधिक योगदान करने की आवश्यकता है। इसलिए जिन व्यक्तियों की आय दो करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये तक और पांच करोड़ रुपये से अधिक है, उन पर सरचार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव करती हैं।' वित्त मंत्री के इस प्रस्ताव के बाद दो करोड़ रुपये से पांच करोड़ तक सालाना आय वाले व्यक्तियों पर सरचार्ज 25 फीसद तथा पांच करोड़ से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर सरचार्ज 37 फीसद लगेगा। चूंकि सरचार्ज आयकर पर लगता है, इसलिए सरचार्ज बढ़ने के बाद सालाना दो से पांच करोड़ रुपये तक कर-योग्य आय वाले व्यक्तियों को 39 फीसद और पांच करोड़ रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों को 42.7 फीसद की दर से टैक्स देना होगा। इस कदम के बाद दो करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक सालाना आय वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स की प्रभावी दर तीन फीसद तथा पांच करोड़ से अधिक की सालाना आय वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स की प्रभावी दर सात फीसद बढ़ जाएगी। इससे सरकार को चालू वित्त वर्ष में करीब 12,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।

खास बात यह है कि सरकार ने भारत में रहने वाले सुपर-रिच पर सरचार्ज बढ़ाने के साथ-साथ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर भी यह बोझ डाल दिया है। मोदी सरकार के इस कदम को लेकर निवेशक असहज हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार वित्त विधेयक 2019 पर चर्चा के दौरान इस संबंध में प्रावधानों में बदलाव कर कुछ राहत दे सकती है।

सिर्फ नीट से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कैबिनेट ने एनएमसी विधेयक को दी हरी झंडी, इसी सत्र में हो सकता है पास

एम्स सहित देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए अब नीट (एनईईटी) देना होगा। साथ ही मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में नामांकन के लिए अब अलग से परीक्षा नहीं होगी, बल्कि एमबीबीएस की अंतिम वर्ष की परीक्षा के आधार पर छात्रों को पीजी में दाखिला मिल जाएगा। मेडिकल शिक्षा में इस तरह के ऐतिहासिक बदलाव के प्रावधानों वाले राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (एनएमसी) विधेयक को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। माना जा रहा है कि सरकार इस विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में ही पास कराने की कोशिश करेगी।

इसके पहले 2017 में एनएमसी विधेयक को संसद में पेश किया गया था, जहां उसे स्थायी समिति के पास विचार के लिए भेज दिया गया था। बाद में स्थायी समिति के सुझावों के साथ नया एनएमसी विधेयक भी बना लेकिन इस पर संसद की मुहर नहीं लग सकी। एनएमसी बनाने में हो रही देरी और मेडिकल शिक्षा की राह में एमसीआइ की रुकावट को देखते हुए सरकार को पिछले साल सितंबर में एमसीआइ

नई दिल्ली में बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को फैसलों की जानकारी देते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व प्रकाश जावड़ेकर। प्रेट्र

को निलंबित कर उसका कामकाज देखने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर के गठन के लिए अध्यादेश लाना पड़ा था। संसद के चालू सत्र में ही बीओजी को कानूनी जामा पहनाने वाला विधेयक पास हो चुका है। बाद में एनएमसी बीओजी की जगह लेगा। एनएमसी के नए विधेयक में दो अहम प्रावधान जोड़े गए हैं, जो पिछले विधेयक में नहीं थे। इनमें पहला एम्स सहित सभी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले को नीट के दायरे में लाने का है। किसी भी मेडिकल कॉलेज में नीट के अलावा अब दाखिल नहीं हो सकेगा। पूरे देश में एमबीबीएस डॉक्टरों की गुणवत्ता में समानता लाने के लिए अहम प्रावधान किया गया है। कॉलेजों की अलग-अलग परीक्षाओं को समाप्त कर दिया है। अब एमबीबीएस की अंतिम वर्ष की परीक्षा पूरे देश में एक साथ आयोजित की जाएगी। इसे नेशनल एक्जिट टेस्ट (नेक्स्ट) नाम दिया गया है।

पीजी में एडमिशन के साथ-साथ नेक्स्ट एमबीबीएस डॉक्टरों की प्रैक्टिस का रास्ता भी साफ कर देगा। उन्हें प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाएगा। इसके पहले प्रैक्टिस के लिए उन्हें मेडिकल कौंसिल से इजाजत लेनी पड़ती थी। इसके अलावा विदेश से पढ़कर आने वाले छात्रों को भारत में पढ़ रहे छात्रों के साथ ही नेक्स्ट की परीक्षा देनी होगी। पास होने पर उनके लिए भी प्रैक्टिस और पीजी कोर्स में दाखिले का रास्ता भी साफ हो जाएगा।

कंपनी कानून और आइबीसी में संशोधन विधेयकों को मंजूरी पेज>>10